संख्या 02871/2019-2020 पत्रावली संख्या I/SIT/0020192 दिनांक 31/01/2020

प्रारूप-8

नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **SIT/09546/2019-2020**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **नमो नारायन, टी0एन0 सहगल, लोहार बाग, जिला सीतापुर, सीतापुर , 261001** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक **30/01/2025** तक विधिमान्य होगा ।

आज दिनांक **31/01/2020** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE
Date: 31/01/2020 1:00:13 PM, Location: Lucknow.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश ।

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : नमो नारायन
संस्था का पता / Society's Address : टी0एन0 सहगल, लोहार बाग, जिला सीतापुर,Sitapur,261001
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number : 8726115374

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(यें उद्देश्य
शिक्षा के लिये , बहुउद्देशीय ,
से सम्बंधित है)

1. जन-साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक विकास करना।
2. ज्ञान वर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।
3. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार सम्मेलन खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रचार प्रसार करना।
4. शैक्षिक विकास हेतु नर्सरी, प्राइमरी, पाठशाला, स्कूल, कालेज, मदरसा/महाविद्यालय खोलना मैनेजमेन्ट, मेडिकल, इंन्जीनियरिंग, टेक्नीकल, सांस्कृतिक विद्यालयो/ प्रोफेशनल कालजों/बालिका विद्यालयो/विकलांग विद्यालयो अल्पसंख्यक विद्यालयो की स्थापना करना जिनमे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था शासन के मानको के अनुसार करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाईप शार्टहैण्ड शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था निःशुल्क करना।
6. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, बृद्धों, निराश्रितों, एवं बेरोजगारों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु निःशुल्क कार्य करना।
7. क्षेत्र के लोगों का अपना जीवन स्तर उठाने हेतु मुख्यता खादी व ग्रामोद्योगिक गतिविधियों को अपनाना प्रोत्साहन देना तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
8. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक बन औषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगो को जानकारी देना तथा जड़ी बूटियों से लोगो का निःशुल्क उपचार करना।
9. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग का प्रचार प्रसार करना।
10. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अवार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इवाकरा, सिफ्सा, सैफ इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला एवं विकास कार्यक्रमो तथा ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार करना।
11. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार प्रसार करना तथा साहित्यक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक कलात्मक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बालक/बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करना।
12. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण एवं यौन शिक्षा, स्वास्थ कल्याण टीकाकरण व वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, दहेज बागवानी विकास, ऊसर बंजर भूमि सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, हरियाली कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण, पशु पक्षी जीव जन्तु संरक्षण,मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, दुग्ध विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
13. महिलाओं/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, संगीत, नृत्य, ब्यूटीशियन, फैशन, खाद्यप्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना।
14. जन हितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशुपालन गृह, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, आदि का प्रचार प्रसार करना।
15. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं जल व भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना व संचालन करना तथा मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु सफाई, हैण्डपम्प, जल प्रवाहित शौचालय, की निःशुल्क व्यवस्था/प्रचार प्रसार करना।
16. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अल्पसंख्यक विभाग के नियमानुसार शिक्षा दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
17. एड्स कैन्सर, पोलियो, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।
18. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।
19. समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता, पुष्टाहार तथा शैक्षिक परिभ्रमण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
20. टाइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तार्गत महिलाओं तथा बेरोजगारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।
21. कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यन्त्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषिको को दिलाना जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सकें।
22. किसानों को वैज्ञानिक रूप से कृषि कार्य करने हेतु उत्तम प्रकार के बीज खाद कीटनाशक दवायें तथा हर प्रकार की जानकारी देने हेतु सेमिनार गोष्ठी, आदि के माध्यम से कृषिको का उत्थान करना तथा कृषि विविधीकरण की परियोजनाओं से किसानों को लाभान्वित कराये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
23. राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चत करने के लिए प्रयास करना व इसके लिए लोगो को जागृत करना।
24. परिवार नियोजन सम्बन्धी निःशुल्क सलाह देना एवं उसका प्रचार एवं प्रसार करना।
25. समाज में फैली कुरीतियों जैसे छुआ-छूत, जाति-प्रथा, भेदभाव, अस्पृश्यता, नशा उन्मूलन, वैश्यावृति, मद्यनिषेध, महिला उत्पीड़न आदि के निवारण हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

Naveen Saigal Kush Narain Saigal Kapoor Swati Saigal Mitee Saigal

माज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाओं के उत्थान हेतु आवासीय एवं अनआवासीय विद्यालयों की स्थापना एवं प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था शासन के मानकों के अनुसार करना।

. बाल श्रमिकों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो, की हर सम्भव निःशुल्क सहायता करना।

9. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों तथा निराश्रित, बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है / Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती रीतू सहगल	पत्नी श्री कुश नारायण सहगल	म0नं0 130 लोहार बाग सीतापुर 261001	अध्यक्ष	समाजसेवा	8726115374		
2.	श्री गौतम सहगल	पुत्र श्री राजेश नारायण सहगल	114/23 नेहरु पार्क लोहार बाग सीतापुर 261001	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	9889174175		
3.	श्री कुश नारायण सहगल	पुत्र श्री ए0एन0 सहगल	130 नेहरु पार्क लोहार बाग सीतापुर	सचिव	समाजसेवा	8808545052		
4.	श्रीमती स्वाति सहगल	पत्नी श्री हर्ष सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के सामने लोहार बाग सीतापुर 261001	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	9935078229		
5.	श्री हर्ष सहगल	पुत्र श्री राजेश नारायण सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के पीछे लोहार बाग सीतापुर 261001	सदस्य	समाजसेवा	9415047342		
6.	श्रीमती मीती सहगल	पत्नी श्री गौतम सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के सामने लोहार बाग सीतापुर 261001	सदस्य	समाजसेवा	8009488899		
7.	श्रीमती उमा कपूर	पत्नी स्व0 महावीर प्रसाद	314/1/सी-8 न्यू मिर्जा मंडी लखनऊ 226003	सदस्य	समाजसेवा	9839088451		

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्रीमती रीतू सहगल	पत्नी श्री कुश नारायण सहगल	म0नं0 130 लोहार बाग सीतापुर 261001	समाजसेवा
2.	श्री गौतम सहगल	पुत्र श्री राजेश नारायण सहगल	114/23 नेहरु पार्क लोहार बाग सीतापुर 261001	समाजसेवा
3.	श्री कुश नारायण सहगल	पुत्र श्री ए0एन0 सहगल	130 नेहरु पार्क लोहार बाग सीतापुर	समाजसेवा
4.	श्रीमती स्वाति सहगल	पत्नी श्री हर्ष सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के सामने लोहार बाग सीतापुर 261001	समाजसेवा
5.	श्री हर्ष सहगल	पुत्र श्री राजेश नारायण सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के पीछे लोहार बाग सीतापुर 261001	समाजसेवा
6.	श्रीमती मीती सहगल	पत्नी श्री गौतम सहगल	14/123 नारायण निवास नेहरु पार्क के सामने लोहार बाग सीतापुर 261001	समाजसेवा
7.	श्रीमती उमा कपूर	पत्नी स्व0 महावीर प्रसाद	314/1/सी-8 न्यू मिर्जा मंडी लखनऊ 226003	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है । दिनाँक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

Harsh Saigal   Kush Narain Saigal   UKapoor   Swati Saigal   Mitee Saigal

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	नमो नारायन
संस्था का पता / Society's Address :	टी0एन0 सहगल, लोहार बाग, जिला सीतापुर,Sitapur,261001
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	8726115374

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	1101	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
सामान्य सदस्य / General Member	551	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :	साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।
बैठके / Meetings :	साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
सूचना अवधि / Notice period :	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी |
गणपूर्ति / Quorum :	साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी |
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :	साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।
साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Duties of the General Body :	1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना। 2. संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना। 3. संस्था की नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धंकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, सचिव-1, सदस्य-3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।
सूचना अवधि / Notice period :	प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी |
बैठके / Meetings :	प्रबन्धसकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी

Saigal   Kush Narain Saigal   Kapoor   Swati Saigal   Mitee Saigal

पूर्व दी जायगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

गणपूर्ति / Quorum :	प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।
प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :	1. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना। 2. संस्था का वार्षिक रिर्पोट एवं बजट तैयार करना। 3. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कंपार्ट अवार्ड, नावार्ड सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सेफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, खादी तथा ग्रामोंद्योग बोर्ड, उ0 प्र0 अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उ0प्र0/ केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक विभाग/बोर्ड उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ0 प्र0, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य श्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :	प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।
कार्यकाल / Tenure :	प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 05साल का होगा।
प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body :	प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन प्रजातांत्रिक पद्धति से होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष	1.	1 संस्था का प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारी होगा। 2 समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। 3 बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, तिथियो में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना। 4 समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना। 5 प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। 6 पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना। 7 राजकीय सहायता, अनुदान व ऋण प्राप्त करना। 8 संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर व उसका नियंत्रण रखना। 9 सदस्य के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना। 10 वैतनिक कर्मचारी/शिक्षकों की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि निलम्बन एवं बहाली करना। 11 समिति की स्वीकृति की प्रत्याशी में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना। 12 संस्था के आडिट की व्यवस्था करना। 13 संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों,लेखों-विलेखों, बन्धक पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना 14 संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना। 15 संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना। 16 बैठको से शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
उपाध्यक्ष	2.	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पालन करना व उसके कार्यों में सहयोग देना।
सचिव	3.	1 संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना। 2 संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना। 3 बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित को देना। 4 बैठको की कार्यवाही लिपीबद्ध करना व सुनाना। 5 सदस्यों के नाम रजिस्टर में लिखना। 6 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
कोषाध्यक्ष	4.	1 आय व्यय का लेखा जोखा करना। 2 दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करें यथाविधि रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना। 3 समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 5000/-रूपये तक नकद रखना। 4 अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
सदस्य	5.	1 संस्था के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना। 2 संस्था के पदाधिकारियों के कार्यों में सहयोग करना।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

	पदाधिकारी/Post
1.	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष

आय के स्रोत / Source of Income

1. Government Loan
2. Maintenance amount
3. Mebership Fee

Remittance

Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष एवम उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा |

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व| / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था के द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति पर होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(औडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissociation :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनाँक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

Saigal Kapoor Swati Saigal Mitee Saigal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 15AE 493534

समक्ष डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ

शपथ–पत्र

मै श्रीमती रीतू सहगल पत्नी श्री कुश नारायण सहगल निवासी म0नं0 130 लोहार बाग सीतापुर 261001 की निवासिनी हूँ। मै एक संस्था नमो नारायन, टी0एन0 सहगल, लोहार बाग, जिला सीतापुर–261001के नाम से पंजीकृत कराना चाहती हूँ। जिसकी मैं अध्यक्ष चुनी गयी हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि–

1. मेरे संज्ञान में आवेदित संस्था नमो नारायन, टी0एन0 सहगल, लोहार बाग, जिला सीतापुर–261001 के नाम से कोई पूर्व पंजीकृत संस्था नही है। न ही मेरी संस्था का उद्देश्य किसी पूर्व पंजीकृत/अपंजीकृत संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति/परसम्पितियों में अनावश्यक हस्तक्षेप या बलात कब्जे का है।
2. यह कि यदि उपरोक्त नाम से पूर्व पंजीकृत संस्था पाई जाती है तो मैं अपनी संस्था का नाम परिवर्तन कर लूंगी।
3. यह कि स्मृति पत्र तथा नियमावली पर जिन पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम व पते दर्ज है वो मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। स्मृति पत्र व नियमावली में अंकित हस्ताक्षर स्मृति पत्र में वर्णित व्यक्तियों द्वारा ही किए गए है।

Sworn and Verified Before me.

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 61764/2000

हस्ताक्षर शपथनी

सत्यापनः–

मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही हैं। आज की दिनांक 14.01.2020 अपने हस्ताक्षर बनाकर मेरे द्वारा सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर शपथनी